Synergy

BSES YAMUNA | जनवरी – फरवरी 2006 | BSES RAJDHANI

बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को नये साल की शुभकामनाएं देती है।

हाउस वायरिंग पर ध्यान देना आवश्यक

हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश से यह बात साफ हो गई है कि जिस इंटरनल हाउस वायरिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वह दरअसल उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है। दोषपूर्ण इंटरनल वायरिंग जहां आपके लिए सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा कर सकती है, वहीं आपकी बिजली की खपत में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है।

हम यहां कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिनसे सालों तक आप इंटरनल वायरिंग की समस्या से मुक्त रहेंगे:

- अपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर की EL LED इंडिकेटर को चेक करें। यदि यह चमक रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी हाउस वायरिंग आपके किसी पड़ोसी की वायरिंग से जुड़ी हुई है। जाहिर है, आप उस बिजली का बिल भी चुका रहे हैं, जिसकी खपत आपने की ही नहीं है।
- जब भी बिजली से संबंधित कोई काम, जैसे एडिशन, ऑल्टरेशन और एडजस्टमेंट आदि करवा रहे हों, तो यह सुनिश्चित कर लें कि तमाम काम योग्य और प्रामाणिक (सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन) से करवाएं। यह भारतीय बिजली कानून, 1956 के तहत आवश्यक भी है।
- आपकी सुरक्षा के लिए अनुरोध है कि आप एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) लगवाएं। यह साधारण, लेकिन बेहद उपयोगी उपकरण आपके घर में अर्थ लीकेज का पता लगाता है। लीकेज का पता चल जाने पर यह अपने आप ही ट्रिप कर जाएगा, जिससे आपके घर में बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएगी और इस तरह बड़े हादसे स्वतः टल जाएंगे।
- क्या आप जानते हैं कि भारतीय बिजली कानून, 1956 के सेक्शन 61 ए के तहत पांच या इससे अधिक किलो वॉट के इलेक्ट्रिसिटी लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए उनके घरों में ईएलसीबी लगवाना जरूरी है।
- हमारे सभी वास्तविक उपभोक्ताओं की बिजली का लोड सीधे डिस्ट्रिब्यूटिंग (वितरण करने वाली) मेन्स से जुड़ा होना चाहिए और संबंधित मीटर के सहारे ही बिजली आनी चाहिए। यदि आपके भवन में एक से अधिक मीटर लगे हैं, तो किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से यह चेक करा लें कि भवन की इंटरनल वायरिंग अलग – अलग हो।
- सुरक्षित और सही वायरिंग के लिए यह जरूरी है कि आपके वितरण बॉक्स में अलग करने वाले उपकरण (आइसोलेटिंग डिवाइस) (एमसीबी, ईएलसीबी), सुरक्षा से संबंधित उपकरण (फ्यूज) और न्यूट्रल व फेज बस बार जरूर होने चाहिए।
- फ्यूज वायर और स्विच आदि की नियमित रूप से देखरेख करते रहें।

कृपया हमारे नये हेल्पलाइन नंबर नोट करें

	बीवाईपीएल	बीआरपीएल
बिजली आपूर्ति	4289 5555	4289 5556
मीटर व बिल	3999 9808	3999 9707
एंटी करप्शन	3999 9888	3999 9777

हमारे नये स्टेट–ऑफ–द–आर्ट सिस्टम में कस्टमर फ्रेंडली कई खूबियाँ हैं

- काम की समय सीमा को बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। यह सुविधा साल के 365 दिन मिलेगी।
- कस्टमर फ्रेंडली और बिल्कुल आसान इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) ग्राहकों को उनके भुगतान व उनकी शिकायतों आदि की स्थिति बताएगा।

क्लिक करके बीएसईएस का बिल भुगतान करें

बीएसईएस के सभी उपभोक्ताओं के लिए एक खुशखबरी है। अब उनके लिए बिजली बिल का भुगतान करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है।

बीएसईएस ने कभी भी और कहीं भी (एनी टाइम एंड एनी व्हेयर) ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा शुरू की है। आप बस बीएसईएस की वेबसाइट www.bsesdelhi.com पर जाएं और अपने घर या ऑफिस, कहीं से भी अपने सुविधानुसार बिल का भुगतान कर दें।

आप बीएसईएस के बिजली बिल की तमाम डिटेल भी यहां देख सकते हैं और अपना क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग अकाउंट आईडी का उपयोग कर बिल का भुगतान कर सकते हैं। मास्टर कार्ड, वीसा, डिनर्स क्लब इंटरनेशनल, सिटी बैंक ई कार्ड से जारी किए गए क्रेडिट कार्ड वाले बीएसईएस के ग्राहक बीएसईएस के अपने बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। साथ ही, सिटी बैंक, एचडीएफसी, आईडीबीआई, पीएनबी, यूटीआई और एसबीआई जैसे मुख्य बैंकों के नेट बैंकिंग कस्टमर भी बीएसईएस के अपने बिल का भुगतान ऑनलाइन कर पाएंगे।

इसके अलावा, आप बीएसईएस की वेबसाइट पर बिना किसी डर के लेन–देन कर सकते हैं। बीएसईएस ने नेट पर होने वाली सभी लेन–देन के सिलसिले में सुरक्षा संबंधी काफी सावधानी बरती है। अति सुरक्षित 128 बिट एसएसएल एनक्रिप्टेड, वेरी (वीआईआरवाई) साइन सर्टिफाइड, पेमेंट गेटवे के साथ सभी भुगतान होते हैं।

बीएसईएस ने एक दूसरी बेहतरीन सुविधा शुरू की है। वह है, आपके व्यक्तिगत ईमेल पर आपके बिल की डिटेल मिलेगी। आपको सिर्फ करना यह है कि आप बीएसईएस की वेबसाइट www.bsesdelhi.com पर लॉग ऑन करें और बिल ऑन ईमेल सेक्शन पर क्लिक करें। यहां अपना सीआरएन नंबर डालें, अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखें। इसके बाद आपको आपके ईमेल पर आपके बिल की डिटेल मिलनी शुरू हो जाएगी।

कैप्शनः आरडब्ल्यूएज और अन्य लोगों की मांग पर बीएसईएस ने विभिन्न इलेक्ट्रिशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए ''ट्रेनिंग ऑन एसेंशियल्स ऑफ हाउस वायरिंग'' नामक प्रशिक्षण का आयोजन किया है। अपने इलाके में विभिन्न जगहों पर बीएसईएस इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 19 दिसंबर, 2005 को करोल बाग में आयोजित ऐसे ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएसईएस मीटर मैनेजमेंट ग्रुप के प्रमुख श्री राजेश बंसल प्रशिक्षण देते हुए।

फोटो : हुमायूं खान

बीएसईएस के रूप में हम लोग अपने सभी 23 लाख उपभोक्ताओं के होठों पर मुस्कान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आपके सवाल और शिकायतों के निपटारे से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं:

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ)

श्री एस के बहल
चेयरमैन
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच बीआरपीएल
सब – स्टेशन भवन
सेक्टर 5, पुष्प विहार
नई दिल्ली – 110 017
फोनः 3097 8194/95 फैक्सः 2956 4400
ईमेलः cgrfbrpl@rediffmail.com

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ)

श्री के एल भयाना
चेयरमैन
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच बीवाईपीएल
पहली मंजिल, सब – स्टेशन भवन
शक्ति किरण बिल्डिंग
बीएसईएस, कड़कड़डूमा
शाहदरा, दिल्ली – 110 032
फोनः 3097 8140/41, फैक्सः 2238 4846
ईमेलः cgrfbypl@hotmail.com

अगर आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अम्बड्समैन के ऑफिस से संपर्क करें।*

श्रीमती आशा मेहरा
इलेक्ट्रिसिटी अम्बड्समैन
बी – 53, पश्चिमी मार्ग
वसंत विहार
नई दिल्ली – 110 017
फोनः 3950 6011, फैक्सः 2614 1205

*(बिजली कानून, 2003 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का एक संवैधानिक निकाय)

संपादकीय टीमः कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस विभाग
अपनी सलाह और अपने विचार कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019 को भेजें।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.bsesdelhi.com पर लॉग ऑन करें।